



का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या

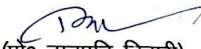
पत्रांक:के0एस0 960 / 2026

दिनांक: 13 जुलाई, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

माननीय प्रबन्ध समिति, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या की अनुमति के पश्चात् नैक की तैयारियों के दृष्टिगत व प्राध्यापकों/विद्यार्थियों के अकादमिक हितों के संवर्द्धन के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2026-27 में राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला के आयोजन के लिए महाविद्यालय के समस्त विभागों/प्राध्यापकों से निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 30.09.2026 तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन के संदर्भ के लिए प्राध्यापकों के समक्ष ज्ञाप के साथ एक विस्तृत नियमावली संलग्न की जा रही है। आवेदन के इच्छुक प्राध्यापकों से अनुरोध है कि नियमावली का अध्ययन कर उसमें दिये गये प्रारूप के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित समय-सीमा में स्थापना कार्यालय में श्री राजेश कुमार मिश्र के पास जमा करना सुनिश्चित करें।


(प्रो० दानपति तिवारी)
प्राचार्य 

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष/मंत्री, प्रबन्ध समिति।
2. समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित कि वे सभी विभागीय सहयोगियों को इससे अवगत करायें।
3. समन्वयक, वोकेशनल समिति
4. समन्वयक, आई0क्यू0ए0सी।
5. समन्वयक, नैक।
6. मुख्य नियन्ता।
7. छात्र कल्याण अधिकारी।
8. वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. प्रशासनिक अधिकारी/पत्रावली।


(प्रो० दानपति तिवारी)
प्राचार्य



का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या

पत्रांक:के0एस0

/ 2026

दिनांक: 13.08.2026

कार्यालय-ज्ञाप

का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाले सेमिनारों/संगोष्ठियों के सुव्यवस्थित, नियमबद्ध एवं पारदर्शी संचालन हेतु सुक्ष्म प्राधिकारी के आदेशानुसार एक सेमिनार समिति का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

समिति का मुख्य उद्देश्य सेमिनार आयोजन के लिए विभिन्न शैक्षणिक विभागों से प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों/प्रस्तावों का नियमावली के आलोक में गहनता से परीक्षण करना तथा अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ आवेदनों को प्राचार्य-कार्यालय में प्रस्तुत करना है। गठित समिति का विवरण निम्नानुसार है-

1. प्रो0 दानपति तिवारी	प्राचार्य, पदेन अध्यक्ष
2. प्रो0 शिव कुमार तिवारी	समन्वयक, अध्यक्ष, गणित विभाग
3. डॉ0 धीरज कुमार	सदस्य, समन्वयक-वोकेशनल पाठ्यक्रम
4. प्रो0 अनुराग मिश्र	सदस्य, समन्वयक-आई0क्यू0ए0सी0
5. प्रो0 अंजनी कुमार सिंह	सदस्य, समन्वयक, शोध एवं विकास समिति
6. प्रो0 अशोक कुमार राय	सदस्य, अध्यक्ष-विधि विभाग
7. प्रो0 ओम प्रकाश यादव	सदस्य, अध्यक्ष-भौतिक विज्ञान विभाग
8. डॉ0 वृजेश कुमार सिंह	सदस्य, अध्यक्ष-प्राणि विज्ञान विभाग
9. डॉ0 मुकेश कुमार पाण्डेय	सदस्य, अध्यक्ष-अर्थशास्त्र विभाग
10. डॉ0 प्रभात कुमार श्रीवास्तव	सदस्य, नैक-समन्वयक

समिति प्राप्त आवेदनों के शैक्षणिक, तकनीकी और वित्तीय पक्षों की जाँच करते हुए प्रत्येक आवेदन पर अपनी स्पष्ट संस्तुति दिनांक 30.10.2026 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(प्रो0 दानपति तिवारी)

प्राचार्य

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष/मंत्री, प्रबन्ध समिति।
2. समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित कि वे सभी विभागीय सहयोगियों को इससे अवगत करावें।
3. समन्वयक, वोकेशनल समिति
4. समन्वयक, आई0क्यू0ए0सी0।
5. समन्वयक, नैक।
6. मुख्य नियन्ता।
7. छात्र कल्याण अधिकारी।
8. वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. प्रशासनिक अधिकारी/पत्रावली।

(प्रो0 दानपति तिवारी)

प्राचार्य



का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अयोध्या

शासन द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन

[नियम, सिद्धान्त और नीतियाँ]

1. का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नैक की तैयारियों के दृष्टिगत व विद्यार्थियों/प्राध्यापकों के अकादमिक हितों के संवर्द्धन के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला आदि कार्यक्रमों के लिए महाविद्यालयीय वित्तीय-स्रोतों से वित्तपोषण की व्यवस्था प्रारम्भ की जा रही है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की व्यावसायिक अभिवृत्ति व उसकी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशालाओं के आयोजन का उद्देश्य आधुनिक अकादमिक कार्यक्षेत्र में सॉफ्ट स्किल्स, संज्ञानात्मक कौशल, संवादक्षमता, अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, डेटा विश्लेषण, प्रस्तुति कौशल, डाक्यूमेंटेशन और आयोजन-क्षमता जैसी दक्षताओं में वृद्धि करना और विद्यार्थियों को नयी अकादमिक व पेशेवर चुनौतियों के समक्ष तत्पर करना है।
3. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कुल 12 विभागों को उपलब्ध प्रस्तावों की सम्परीक्षा के पश्चात सेमिनार/संगोष्ठी के ऑफलाइन आयोजन के लिए वित्तपोषण प्रदान किया जायेगा, यद्यपि अपवाद रूप में उपलब्ध न होने की स्थिति में किसी विशेषज्ञ-वक्ता का व्याख्यान ऑनलाइन मोड में भी किया जा सकेगा। वर्तमान सत्र में बचे हुए शेष विभागों को आगामी शैक्षणिक सत्र में प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रमों को आवंटित किया जायेगा। सेमिनार-आयोजन के संदर्भ में आई0क्यू0ए0सी0 की गणना विभाग के रूप में की जायेगी।
4. प्रत्येक सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला के लिए महाविद्यालय द्वारा 40,000/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। आयोजन-सचिव पंजीकरण आदि के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए आयोजन की आवश्यकताओं के लिए और भी अधिक वित्तीय-सृजन कर सकेंगे। आवेदक को सेमिनार के आयोजन के संदर्भ में राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय अहंताओं व अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।
5. एक शैक्षणिक सत्र में कोई भी विभाग या उसका अन्तर्वर्ती प्राध्यापक उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत एक ही सेमिनार का आयोजन कर सकेगा। प्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे प्रस्ताव पर विभाग के अध्यक्ष/प्रभारी का अग्रसारण आवश्यक होगा।
6. किसी भी प्राध्यापक/विभाग को सेमिनार के प्रस्ताव/फ्लैक्स पर सेमिनार के प्रस्तावित विषय के पूर्व निम्नलिखित वाक्यांश को लिखना अनिवार्य होगा—
“राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के शैक्षणिक कार्यक्रम/व्याख्यानमाला के अन्तर्गत”
7. प्राध्यापकों/शोधार्थियों/सामान्य छात्रों के पंजीकरण की धनराशि केवल ऑनलाइन या चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से महाविद्यालय के बैंक एकाउन्ट नं 21929901164 (IFSC Code - IDIB000K505) पर ही प्राप्त की जा सकेगी। सेमिनार की स्वीकृति के बाद सेमिनार समिति पंजीकरण में आयोजन-सचिव के सहयोग के लिए महाविद्यालय के आधिकारिक मेल पर एक गूगल-फॉर्म बना देगी, जिस पर पंजीकरण के पश्चात प्रतिभागी समस्त विवरणों को पूरित करते हुए ट्रांजैक्शन की रसीद अपलोड करेंगे। यह धनराशि कार्यक्रम की सम्पन्नता के पश्चात् समायोजन प्रस्तुत कर दिये जाने पर आयोजन-सचिव को प्रदान कर दी जायेगी। सेमिनार-आयोजन में प्रयुक्त होने वाली अत्यन्त साधारण वस्तुओं (जैसे-चाय, फूलमाला आदि) को छोड़कर प्रत्येक क्रय की जाने वाली वस्तु का जीएसटी बिल समायोजन के समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

8. सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला की आयोजन-समिति में विभागीय प्राध्यापकों के अतिरिक्त तीन स्नातक व दो परास्नातक विद्यार्थियों को उनकी सहमति से नामित करना अनिवार्य होगा।

9. सेमिनार के आयोजन के अन्तिम दिन गूगल-फॉर्म के विवरण का आवश्यकता पड़ने पर बैंक अकाउंट के ट्रान्जेक्शन से मिलान कर आयोजन-सचिव सम्बन्धित प्रमाणपत्रों को प्रतिभागियों के बीच वितरित कर सकेंगे।

10. प्रत्येक शैक्षणिक-सत्र में प्राचार्य द्वारा सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला के आयोजन के संदर्भ में आवेदन की एक अन्तिम तिथि निश्चित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्राध्यापक को निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। समस्त प्राप्त आवेदनों का प्राचार्य द्वारा गठित महाविद्यालय की सेमिनार-समिति मूल्यांकन करेगी और स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करेगी। किसी दिये गये आवेदन/प्रस्ताव पर समिति को यदि किसी विषय में अकादमिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है तो समिति महाविद्यालय के तत्सम्बन्धी विषय के विशेषज्ञ-प्राध्यापकों को मूल्यांकन व परामर्श के लिए आमंत्रित कर सकती है। स्वीकृति के अनन्तर सेमिनार का आयोजन आयोजन-सचिव अपनी सुविधा से निर्धारित समयावधि में कर सकेंगे। आवेदन का प्रारूप निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत होगा-

a- Activity : Conference/Seminar/Workshop -

b- Geographical Coverage : State/National/International level -

c- Title of the Seminar/Conference:

d- Proposed dates : From to.....

e- Department :

f- Name of the Organising Secretary :

g- Email and Phone Number :

h- Broad details of estimated expenditure : (TA & honorarium for Resource Persons, Pre-Conference Printing, Publication of Proceedings, Local hospitality including boarding & lodging, Details of assistance sought from other sources) :

i- Detailed Proposal Of The Activity-

- Title of the activity-

- Aims/Objectives (in at least 800 words) -

- Target Audience/ participants with expected number-

- Details of Sessions -

- Expected Outcome-

11. सेमिनार-समिति का यह भी दायित्व होगा कि सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला की इस वित्तपोषित व्यवस्था के अतिरिक्त भी अन्तर्विभागीय स्तर पर इन आयोजनों के नियमित संचालन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसे कार्यरूप में परिणत करें।

12. यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय होगा यदि सेमिनार के आयोजन-सचिव/समन्वयक आयोजन की सम्पन्नता के पश्चात सभी प्राप्त प्रोसीडिंग्स का संकलन कर उसे आईएसबीएन नम्बर के साथ पुस्तकाकार प्रकाशित करते हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पुस्तक का सर्वाधिकार प्राचार्य, काउंसुलर अकादमी महाविद्यालय, अयोध्या के पक्ष में मुद्रित होगा।

और साथ ही यह टिप्पणी भी पुस्तक में यथारथान प्रकाशित करनी होगी कि – “यह पुस्तक महाविद्यालय द्वारा आवंटित व प्रदत्त वित्तीय सहयोग से महाविद्यालय में विषय पर दिनांक को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यवृत्त के अनुषंग के रूप में प्रकाशित है। पुस्तक में संकलित लेखों में वर्णित विचार पूर्णतया सम्बन्धित लेखकों के हैं, सम्पादक या प्रकाशक की उनसे सहमति आवश्यक नहीं है।”


(प्रो० दानपति तिवारी)
प्राचार्य 